



CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

भारत में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग: नियामक चुनौतियाँ और लोक नीतिगत विकल्प

डॉ मोहन मिश्रा

सहायक आचार्य

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर

Email - mishramohan909@gmail.com, Mobile-9782831347

First draft received: 18.08.2026, Reviewed: 22.08.2026

Final proof received: 25.08.2026, Accepted: 25.09.2026

सारांश

बच्चों में सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा है और इसने बच्चों के सीखने, संवाद करने और आपस में जुड़ने के तरीके को बदल दिया है। सोशल मीडिया मंच बच्चों को शिक्षा, रचनात्मकता और सामाजिक भागीदारी के अवसर देते हैं, परन्तु साथ ही उन्हें साइबर-उत्पीड़न, ऑनलाइन ग्लॉसिंग, हानिकारक सामग्री, निजता के उल्लंघन, डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों जैसे जोखिमों में भी डालते हैं। यह अध्ययन भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़े संवैधानिक और कानूनी ढाँचे का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। इसमें सैद्धांतिक विधिक शोध-पद्धति अपनाई गई है, जिसमें संविधान, विधानों, नियमों और न्यायिक निर्णयों को प्राथमिक स्रोत तथा नीतिगत रिपोर्टों, शोध-पत्रों और विद्वतापूर्ण साहित्य को द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। अध्ययन में नौ देशों, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, के नियामक मॉडलों का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है, ताकि भारत के लिए उपयोगी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली की पहचान की जा सके। अध्ययन से पता चलता है कि साइबर सुरक्षा, बाल संरक्षण और डेटा निजता से जुड़े कई कानून होने के बावजूद, भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को समग्र रूप से विनियमित करने वाला कोई एक व्यापक कानून नहीं है। मौजूदा ढाँचा आयु-सत्यापन, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, एल्गोरिदमिक की पारदर्शिता और बच्चों के डिजिटल कल्याण जैसे मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता। अतः यह शोध-पत्र बच्चों के अधिकारों और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने वाले बाल-केंद्रित एवं अधिकार-आधारित कानूनी ढाँचे की आवश्यकता पर बल देता है, जिसके लिए सरकार, तकनीकी कंपनियों, विद्यालयों, अभिभावकों और नागरिक समाज के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द - सोशल मीडिया, बाल अधिकार, डिजिटल अभिशासन, साइबर विधि, लोक नीति, ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा संरक्षण, प्लेटफॉर्म उत्तरदायित्व, डिजिटल कल्याण।

प्रस्तावना

डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेज़ विकास ने लोगों के संवाद करने, सूचना पाने और सामाजिक भागीदारी के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इसमें सोशल मीडिया एक बहुत प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है, जिसने शिक्षा, रचनात्मकता, मनोरंजन और नागरिक भागीदारी के नए अवसर दिए हैं। सोशल मीडिया मंच आज दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, विशेषकर बच्चों और किशोरों के लिए, जो संवाद, सीखने और सामाजिक संपर्क के लिए इन मंचों पर लगातार अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

भारतीय कानून में 'बालक' की परिभाषा पूरी तरह एक-समान नहीं है। भारत में विभिन्न विधिक प्रावधानों के अंतर्गत 'बालक' की आयु-सीमा निर्धारित की गई है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(1)(घ) तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 2(च) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 'बालक' माना जाता है। इसके विपरीत, बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2(iii) में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को 'बालक' परिभाषित किया गया है। इस प्रकार भारत ने डिजिटल सहमति के लिए

अपेक्षाकृत ऊँची आयु-सीमा रखी है, यद्यपि विभिन्न कानूनी उद्देश्यों के लिए 'बालक' शब्द के अर्थ में अंतर बना रहता है। इस शोध-पत्र में जहाँ भी 'बालक' शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ (जब तक अन्यथा न बताया जाए) उसका अर्थ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम, 2023) की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है।

किफायती स्मार्टफोन की उपलब्धता, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और सरकार की डिजिटल पहलों ने बच्चों की ऑनलाइन भागीदारी को तेजी से बढ़ाया है। पीएम ई-विद्या, दीक्षा, ई-पाठशाला और स्वयं प्रभा जैसी योजनाओं ने विद्यालयी बच्चों को वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, टीवी और रेडियो जैसे माध्यमों से डिजिटल शिक्षण सामग्री तक पहुँच दी है। पीएम ई-विद्या का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और प्रसारण-आधारित शिक्षा को एक साथ जोड़ना था, जिससे भारत में लगभग 25 करोड़ विद्यालयी बच्चों को लाभ मिलने की परिकल्पना की गई थी। दीक्षा को 2017 में शुरू किया गया था और अब यह लगभग सभी राज्यों में अपनाई जा चुकी है।¹¹

डेटारिपोर्टल की डिजिटल 2026: इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक भारत में लगभग 1.03 अरब इंटरनेट

उपयोगकर्ता थे और अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया की लगभग 500 मिलियन उपयोगकर्ता-पहचान दर्ज हुई, जो भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 34.1 प्रतिशत के बराबर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूरी है – यह 500 मिलियन का आँकड़ा अद्वितीय व्यक्तियों की संख्या नहीं बल्कि उपयोगकर्ता-पहचान की संख्या दर्शाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के कई मंचों पर एक से अधिक खाते हो सकते हैं।ⁱⁱⁱ

ग्रामीण भारत के आँकड़े भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में 605 जिलों के 17,997 गाँवों के 6,49,491 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया^{iv}। इसके अनुसार 14-16 वर्ष आयु-वर्ग के 89.1 प्रतिशत बच्चों के घर में स्मार्टफोन था और 82.2 प्रतिशत बच्चों ने स्मार्टफोन चलाना जानने की बात कही। परन्तु केवल 31.4 प्रतिशत के पास अपना व्यक्तिगत स्मार्टफोन था, जबकि 76 प्रतिशत बच्चों ने सोशल मीडिया के लिए और 57 प्रतिशत ने पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन के उपयोग की बात कही^v। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार के किसी सदस्य के फोन तक पहुँच होना अपने फोन के मालिक होने जैसा नहीं है।

स्मार्टफोन स्वामित्व में लैंगिक अंतर भी दिखा: 36.2 प्रतिशत लड़कों के पास अपना फोन था, जबकि लड़कियों में यह केवल 26.9 प्रतिशत था। सुरक्षा-जागरूकता की स्थिति भी चिंताजनक है: 14-16 वर्ष के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में से केवल 62 प्रतिशत को किसी प्रोफाइल को ब्लॉक या रिपोर्ट करना आता था, 55.2 प्रतिशत को खाता निजी करना और 57.7 प्रतिशत को पासवर्ड बदलना आता था।^{vi} अर्थात् डिजिटल पहुँच जितनी तेज़ी से बढ़ी है, डिजिटल सुरक्षा-साक्षरता उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है।

बढ़ते स्क्रीन-समय और डिजिटल मीडिया के उपयोग को मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से भी जोड़ा गया है। अमेरिका में 40,337 बच्चों और किशोरों के एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन लगभग एक घंटे से अधिक स्क्रीन-समय मनोवैज्ञानिक कल्याण के निम्न स्तर से जुड़ा था।^{vii} एक अन्य अध्ययन में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग को अमेरिकी किशोरों में अवसाद के लक्षणों और मानसिक स्वास्थ्य के अन्य प्रतिकूल संकेतकों से जोड़ा गया।^{viii} इसी के साथ साइबरबुलिंग भी एक गंभीर जोखिम के रूप में उभर रही है: इंटरनेट की सहज उपलब्धता, पहचान छुपाने की सुविधा और बदलते ऑनलाइन दर्शकों ने पारंपरिक बुलिंग के स्वरूप को काफी बदल दिया है।^{ix}

शोध-पद्धति

यह अध्ययन सैद्धांतिक विधिक शोध-पद्धति पर आधारित है, जिसमें कानूनी प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों और नीतिगत दस्तावेजों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

प्राथमिक स्रोत: भारत का संविधान, 1950; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023; पॉक्सो अधिनियम, 2012; किशोर न्याय अधिनियम, 2015; तथा प्रासंगिक न्यायिक निर्णय।

द्वितीयक स्रोत: सरकारी रिपोर्टें, नीतिगत दस्तावेज, शोध-पत्र, तथा उपलब्ध विद्वतापूर्ण साहित्य।

तुलनात्मक देशों के चयन का आधार: इस अध्ययन में तुलना हेतु नौ देशों; ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी; को इसलिए चुना गया क्योंकि इन्होंने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से अलग-अलग नियामक दृष्टिकोण अपनाए हैं: कुछ ने वैधानिक न्यूनतम आयु-सीमा (ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस) तय की है, कुछ प्लेटफॉर्म की जोखिम-आधारित जवाबदेही (यूके, यूरोपीय संघ) पर केंद्रित हैं, कुछ निजता-केंद्रित दृष्टिकोण (अमेरिका) अपनाते हैं, कुछ राज्य-नियंत्रित व्यापक मॉडल (चीन) अपनाते हैं, और कुछ सहकारी/शिक्षा-आधारित मॉडल (जापान, जर्मनी, ग्रीस)

अपनाते हैं। इस विविधता के कारण ये देश भारत के लिए तुलनात्मक दृष्टि से उपयोगी माने गए।

सीमाएँ : यह अध्ययन विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक पद्धति पर आधारित है; इसमें बच्चों, अभिभावकों या प्लेटफॉर्मों से कोई प्राथमिक अनुभवजन्य आँकड़ा, जैसे सर्वेक्षण या साक्षात्कार) एकत्र नहीं किया गया है। एएसईआर 2024 और DataReportal जैसे आँकड़े द्वितीयक स्रोतों से लिए गए हैं और उनकी अपनी कार्यप्रणालीगत सीमाएँ हो सकती हैं, जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया है।

साहित्य समीक्षा

उपलब्ध साहित्य को तीन विषय-क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है।

पहला: बच्चों का डिजिटल व्यवहार और अभिभावकीय भूमिका: Papadakis, Zaranis और Kalogiannakis के एक अध्ययन में यूनानी बच्चों के मोबाइल उपयोग और उसमें अभिभावकों की भागीदारी व दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया, जो यह दर्शाता है कि छोटे बच्चों में भी मोबाइल उपकरणों का उपयोग तेज़ी से सामान्य होता जा रहा है और अभिभावकीय निगरानी की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है।^x

दूसरा: स्क्रीन-समय, साइबरबुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य: Twenge और Campbell के जनसंख्या-आधारित अध्ययन में स्क्रीन-समय और बच्चों के मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच नकारात्मक संबंध पाया गया।^{xi} Twenge, Joiner, Rogers और Martin के अध्ययन ने नई डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया और स्मार्टफोन सहित) के बढ़ते उपयोग को अमेरिकी किशोरों में अवसाद और आत्महत्या से जुड़े संकेतकों में वृद्धि से जोड़ा।^{xii} Wong-Lo और Bullock ने दिखाया कि इंटरनेट की सहज उपलब्धता और गुमनामी ने साइबरबुलिंग के स्वरूप को पारंपरिक बुलिंग से भिन्न और अधिक जटिल बना दिया है।^{xiii}

तीसरा: प्लेटफॉर्म-जवाबदेही, डेटा संरक्षण और कानूनी विश्लेषण: एल्ताहेर और सहलेखकों ने वीडियो-शेयरिंग मंचों पर सामग्री-संयम (कंटेंट मॉडरेशन) और कानूनी सुरक्षा-उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया।^{xiv} डुकाटो के अध्ययन में डेटा संरक्षण, वैज्ञानिक शोध और सूचना की भूमिका के बीच के संबंध पर चर्चा की गई।^{xv} लिबिंग्स्टोन और ब्लम-रॉस ने पेरेंटिंग फॉर अ डिजिटल फ्यूचर में यह तर्क दिया कि डिजिटल युग में अभिभावकत्व केवल नियंत्रण तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि बच्चों की डिजिटल भागीदारी को समझदारी से सक्षम बनाने का भी विषय है।^{xvi} याकूब और सहलेखकों ने सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों, चुनौतियों और कानूनी निहितार्थों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया।^{xvii} भारत के संदर्भ में, प्रकाश का अनुभवजन्य-विधिक अध्ययन भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग के नियमन की चुनौतियों की पड़ताल करता है।^{xviii}

इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि (क) बच्चों में डिजिटल उपकरणों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है, (ख) अत्यधिक/अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिमकारी हो सकता है, और (ग) मौजूदा कानूनी ढाँचे – चाहे भारत में हों या अन्य देशों में – प्रायः खंडित रहे हैं और सोशल मीडिया के संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव रहा है। यही अंतराल प्रस्तुत शोध का आधार बनता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी विधिक प्रावधानों का विवेचन अंग्रेज़ी में उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों के आधार पर किया गया है, जबकि संबंधित देशों की मूल भाषा में उपलब्ध आधिकारिक विधि-पाठों का पृथक् भाषाई परीक्षण इस अध्ययन के दायरे में सम्मिलित नहीं है।

शोध-अंतराल : पूर्व में हुए अधिकांश अध्ययनों ने साइबर अपराध, डेटा संरक्षण या मध्यस्थ-दायित्व (इंटरमीडियरी लायबिलिटी) का प्रायः अलग-अलग अध्ययन किया है: उदाहरण के लिए भारत के मौजूदा कानूनों और उनकी सीमाओं पर केंद्रित अनुभवजन्य विश्लेषण,^{xix} तथा वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्मों पर सामग्री-संयम की प्रभावशीलता पर केंद्रित अध्ययन।^{xx} इसके विपरीत, प्रस्तुत शोध संवैधानिक विधि, साइबर विधि, बाल

अधिकार, डिजिटल शासन और लोक नीति के दृष्टिकोणों को एक साथ जोड़ते हुए एक अंतर्विषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) विश्लेषण प्रस्तुत करता है, और नौ देशों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भारत के लिए ठोस नीतिगत सुझाव देता है। इस अर्थ में यह अध्ययन पूर्व के शोधों की तुलना में व्यापक दायरा रखता है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और कानूनी ढाँचे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, साथ ही विभिन्न देशों के तुलनात्मक अनुभव से ऐसे नियामक व्यवहार (रेग्युलेटरी प्रैक्टिकेस) की पहचान करना है जो भारत में भविष्य के कानूनी सुधारों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा

भारत में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को सीधे तौर पर विनियमित करने वाला कोई समर्पित कानून अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, संविधान और विभिन्न वैधानिक प्रावधान मिलकर डिजिटल क्षेत्र में बच्चों को कानूनी संरक्षण देते हैं। भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 19(1)(क) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) की गारंटी देता है। न्यायिक व्याख्या से अनुच्छेद 21 के भीतर निजता, गरिमा और सूचनात्मक स्वायत्तता के अधिकार भी शामिल माने गए हैं।^{xxi} इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21क प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 39 (ड) और 39 (च) राज्य को बच्चों को शोषण से बचाने और उनके स्वस्थ विकास के लिए उचित परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

भारत में बच्चों द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनसे शिक्षा और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, परन्तु साथ ही साइबर-बुलिंग, ऑनलाइन भ्रमिंग, निजता के उल्लंघन, बाल यौन शोषण सामग्री और अत्यधिक डेटा-संग्रह जैसे जोखिम भी बढ़ते हैं। इन चुनौतियों के जवाब में भारत ने दो प्रमुख विधिक व्यवस्थाएँ विकसित की हैं – सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम)।

आईटी नियम, 2021: ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2)(य) एवं (यछ) के साथ पठित धारा 87(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं और सोशल मीडिया मध्यस्थों पर वैधानिक उचित सावधानी का दायित्व डालते हैं। नियम 3 के अनुसार प्रत्येक मध्यस्थ को अपनी सेवा-शर्तें और निजता-नीति स्पष्ट रूप से प्रकाशित करनी होती है, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री सहित गैर-कानूनी सामग्री को होस्ट, प्रकाशित या साझा करने पर रोक शामिल है। उल्लंघन पर खाता निलंबित या समाप्त किया जा सकता है, और न्यायालय के आदेश या सक्षम सरकारी प्राधिकारी की सूचना पर मध्यस्थ को गैर-कानूनी सामग्री हटानी होती है।^{xxii} नियम 4 के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (Significant Social Media Intermediaries, जिनके उपयोगकर्ता केंद्र सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक हैं)^{xxiii} को मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति तथा रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होते हैं तथा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।^{xxiv}

डीपीडीपी अधिनियम, 2023: अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार बालक 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। धारा 9 के अनुसार डेटा न्यासी (डाटा फिड्यूशिएरी) को बालक का व्यक्तिगत डेटा संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति लेनी होती है, बालक के कल्याण के लिए हानिकारक किसी भी प्रसंस्करण पर रोक है, तथा बालकों की व्यवहारगत निगरानी (बहविआउरल मोनिट्रिंग), ट्रैकिंग एवं लक्षित विज्ञापन (टारगेटेड एडवर्टाइजिंग) पर प्रतिबंध है।^{xxv} अधिनियम के अंतर्गत भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड शिकायतों के निस्तारण,

उल्लंघनों की जाँच और वित्तीय दंड अधिरोपित करने के लिए उत्तरदायी है। माता-पिता और विधिक अभिभावकों को बच्चों की ओर से अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार भी दिया गया है।^{xxvi}

एल्गोरिदमिक जोखिम और आयु-सत्यापन की चुनौतियाँ

इन विधायी उपायों के बावजूद प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। एक ओर, बच्चों के ऑनलाइन अनुभव अब कृत्रिम एआई अनुशंसा प्रणालियाँ (एआई रिकमेंडेशन सिस्टम्स) से तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं, जो उपयोगकर्ता की सहभागिता तो बढ़ाती हैं परन्तु हानिकारक सामग्री को बढ़ावा देने, अत्यधिक स्क्रीन-समय को प्रोत्साहित करने और अनुचित सामग्री के संपर्क की संभावना भी बढ़ा सकती हैं।^{xxvii} दूसरी ओर, अधिकांश सोशल मीडिया मंचों पर आयु-सत्यापन मुख्यतः उपयोगकर्ता की स्वयं-घोषणा पर निर्भर करता है, जिससे नाबालिगों की पहुँच को प्रभावी ढंग से रोकना कठिन हो जाता है।^{xxviii} आईटी नियम, 2021 और डीपीडीपी अधिनियम, 2023 दोनों में ही व्यापक और अनिवार्य आयु-सत्यापन तंत्र का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे अभिभावकीय सहमति संबंधी आवश्यकता व्यवहार में लागू करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वचालित सामग्री-संयम प्रणालियाँ क्षेत्रीय भाषाओं और एन्क्रिप्टेड माध्यमों में हानिकारक सामग्री पहचानने में सीमित रहती हैं, और माता-पिता व बच्चों में डिजिटल साक्षरता की कमी उपलब्ध कानूनी उपचारों की जानकारी को भी सीमित करती है। इन परिस्थितियों के लिए ऐसे नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो केवल अभिभावकीय निगरानी पर निर्भर न रहकर प्लेटफॉर्मों को अधिक उत्तरदायी बनाए।

समग्र रूप से, आईटी नियम, 2021 और डीपीडीपी अधिनियम, 2023 भारत में एक द्विस्तरीय ढाँचा बनाते हैं: पहला प्लेटफॉर्म-जवाबदेही और सामग्री-संयम पर, दूसरा बच्चों की डेटा-निजता पर केंद्रित। परन्तु दोनों मिलकर भी बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच, आयु-सत्यापन, एल्गोरिदमिक जवाबदेही और डिजिटल कल्याण को विशेष रूप से विनियमित करने वाला कोई एकीकृत ढाँचा नहीं बनाते। अतः बाल-केंद्रित एवं अधिकार-आधारित एक व्यापक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता बनी हुई है।^{xxix}

न्यायिक विकास

भारतीय न्यायपालिका ने डिजिटल युग में संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मध्यस्थों के दायित्व के संदर्भ में।

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ^{xxx} : इस मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इस निर्णय ने बच्चों की डिजिटल निजता और व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए संवैधानिक आधार को सुदृढ़ किया।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ^{xxxi} : उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया और स्पष्ट किया कि ऑनलाइन वाक्-स्वतंत्रता पर प्रतिबंध युक्तिसंगत तथा संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। यद्यपि यह निर्णय मुख्यतः वाक्-स्वतंत्रता से जुड़ा था, इसने डिजिटल शासन में व्यक्तिगत अधिकार और वैध नियामकीय उद्देश्य के बीच संतुलन के सिद्धांत को सुदृढ़ किया।

ज़ेप फाउंडेशन बनाम भारत संघ^{xxxii} : 4 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सांविधिक प्रतिबंध लगाने की माँग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आयु-सीमा और नियामकीय सुरक्षा-उपाय तय करना मुख्यतः नीति-निर्माण (विधायिका) का विषय है, न्यायिक हस्तक्षेप का नहीं, तथा याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने की स्वतंत्रता दी।^{xxxiii}

सुरक्षा कीर्ति दुआ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य^{xxxiv}; दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच पर आयु-आधारित प्रतिबंध लगाने तथा नाबालिगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने संबंधी याचिका पर विचार किया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को याचिका में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करने तथा एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। हालाँकि, न्यायालय ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कोई व्यापक प्रतिबंध लागू नहीं किया।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलाइड्स बनाम भारत संघ एवं अन्य^{xxxv}, रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नाबालिग बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और संचालित करने के नियमन का प्रश्न उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अंतर्गत नाबालिगों की संविदात्मक क्षमता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म की सेवा-शर्तों के संदर्भ में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ प्रस्तुत कीं। याचिका में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध, सत्यापित अभिभावकीय सहमति तथा शैक्षिक सामग्री तक पहुँच के लिए अभिभावक-नियंत्रित अकाउंट जैसी व्यवस्थाओं की मांग की गई। 10 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा तथा सुनवाई के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा-व्यवस्थाओं की आवश्यकता पर टिप्पणी की। तथापि, इस कार्यवाही को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतिम न्यायिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह मामला भारत में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, अभिभावकीय नियंत्रण, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तथा ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच विधिक संतुलन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

इन निर्णयों से सम्मिलित रूप से यह सिद्धांत उभरता है कि डिजिटल क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण एक संतुलित दृष्टिकोण से होना चाहिए, जिसमें निजता, अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता और बाल-कल्याण – तीनों की रक्षा हो, तथा सोशल मीडिया के विनियमन के लिए ठोस विधायी सुधार भी आवश्यक हैं।

तुलनात्मक अंतरराष्ट्रीय विधिक एवं नीतिगत ढाँचा

सोशल मीडिया के तेज़ विस्तार ने दुनिया भर की सरकारों को बच्चों को साइबर-उत्पीड़न, हानिकारक सामग्री, ऑनलाइन ग्लूमिंग, निजता-उल्लंघन, डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव से बचाने के लिए अलग-अलग कानूनी ढाँचे अपनाने हेतु प्रेरित किया है। लक्ष्य समान होते हुए भी, प्रत्येक देश ने अपने संवैधानिक मूल्यों और तकनीकी क्षमता के अनुरूप भिन्न मॉडल अपनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया का मॉडल: ऑनलाइन सेफ्टी अमेन्डमन्ट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट 2024 (जो ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, 2021 में संशोधन करता है) के अंतर्गत आयु-प्रतिबंधित मंचों के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष तय की गई है। अनुपालन की जिम्मेदारी बच्चों या अभिभावकों पर नहीं, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्मों पर डाली गई है, जिन्हें "उचित कदम" उठाकर कम आयु के खातों को रोकना होता है। निगरानी ई-सेफ्टी कमिश्नर^{xxxvi} करता है, और आयु-सत्यापन हेतु एकत्र जानकारी के उपयोग को सीमित रखकर निजता की भी रक्षा की गई है।^{xxxvii}

ग्रीस का मॉडल: मई 2025 में सरकार ने "किड्स वॉलेट" नामक मोबाइल ऐप शुरू किया, जो अभिभावकों को बच्चों की आयु सत्यापित करने और ऑनलाइन गतिविधि नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मॉडल विशिष्ट है क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व मुख्यतः प्लेटफॉर्मों पर न डालकर सरकार-समर्थित अवसरचना और अभिभावकीय निगरानी पर आधारित है।^{xxxviii}

फ्रांस का मॉडल: के अनुच्छेद 4^{xxxix} के अंतर्गत 15 वर्ष की "डिजिटल बहुमत आयु" (डिजिटल मजॉरिटी एज) तय की गई है। फ्रांस में सक्रिय सोशल मीडिया सेवाओं को माता-पिता की अनुमति के बिना 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पंजीकरण अस्वीकार करना होगा। प्लेटफॉर्मों को उपयोग-समय की निगरानी और उपयोगकर्ताओं को सूचित करने का तंत्र भी बनाना होगा। आयु-सत्यापन के मानक एआरसीओएम द्वारा CNIL से परामर्श कर तय किए जाते हैं; अनुपालन न करने पर वैश्विक वार्षिक कारोबार के 1% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।^{xl}

यूनाइटेड किंगडम का मॉडल: ऑनलाइन सेफ्टी ऐक्ट, 2023 के अंतर्गत 25 जुलाई 2025 से प्लेटफॉर्मों के लिए "highly effective age-assurance measures" अनिवार्य हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों को अश्लील सामग्री और आत्म-हानि/आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली सामग्री से बचाना है। नियामक ऑफकोम अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्मों पर उनके वैश्विक राजस्व के 10% तक जुर्माना लगा सकता है।^{xli}

यूरोपीय संघ का मॉडल: जेनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) (2016) के अनुच्छेद 8 के अनुसार, सहमति-आधारित डेटा-प्रसंस्करण के लिए सदस्य राज्य 13 से 16 वर्ष के बीच अभिभावकीय-सहमति आयु तय कर सकते हैं। डिजिटल सर्विसेज एक्ट (2022) इसे और सुदृढ़ करता है – अतिविशाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को नाबालिगों से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करना, उनके डेटा पर आधारित लक्षित विज्ञापन रोकना और प्राइवसी-बाय-डिजाइन अपनाना अनिवार्य है।^{xlii}

संयुक्त राज्य अमेरिका का मॉडल: चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवसी प्रोटेक्शन एक्ट (कोपा) 1998 के अंतर्गत 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्षित सेवाओं को डेटा एकत्र करने से पहले सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति लेनी होती है। प्रवर्तन फेडरल ट्रेड कमिशन करता है, परन्तु कोपा हानिकारक सामग्री या सोशल मीडिया की लत जैसे व्यापक मुद्दों को समग्र रूप से नहीं संबोधित करता।^{xliii}

चीन का मॉडल: 1 जनवरी 2024 से प्रभावी ऑनलाइन नाबालिगों की सुरक्षा संबंधी विनियम के अंतर्गत प्लेटफॉर्मों को "भाइनर मोड" उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जो सामग्री, सुविधाओं और उपयोग-समय को नियंत्रित करता है। यह साइबरबुलिंग-रोकथाम, इंटरनेट-लत-रोकथाम और डेटा-संरक्षण को एक साथ जोड़ने वाला व्यापक राज्य-नियंत्रित मॉडल है।^{xliv}

जापान का मॉडल: बच्चों एवं युवाओं के सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, जागरूकता तथा फ़िल्टरिंग-आधारित उपायों पर बल देता है। यह कानून सरकार, स्थानीय निकायों, विद्यालयों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, अभिभावकों तथा अन्य संबंधित पक्षों की भूमिकाओं को निर्धारित करता है और निजी पहलों के नेतृत्व में उपायों को प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत मोबाइल सेवा प्रदाताओं पर फ़िल्टरिंग सेवाओं से संबंधित दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार, यह कानून सोशल मीडिया उपयोग के लिए कठोर न्यूनतम आयु-प्रतिबंध लगाने के बजाय हानिकारक ऑनलाइन सामग्री तक पहुँच को कम करने, डिजिटल कौशल विकसित करने और विभिन्न पक्षों की सहभागिता के माध्यम से सुरक्षित इंटरनेट परिवेश तैयार करने पर केंद्रित है।^{lv}

जर्मनी का मॉडल: जर्मनी का मॉडल^{xli} मीडिया में नाबालिगों (युवाओं) के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय संधि (युगेंडमीडियनशूट्स-शट्टाट्सफ़ेरेट्रॉग (योए-एम-एस-टे-फ़्राऊ)) (मीडिया में नाबालिगों की सुरक्षा पर अंतर-राष्ट्रीय संधि) और युगेंडशूट्सगेजेट्स (यू-शू-गे) – विशेषकर 2021 के संशोधन के बाद जोड़ी गई धारा 24a – पर आधारित है, जो प्लेटफॉर्मों को शिकायत-तंत्र, अभिभावकीय-नियंत्रण विकल्प और आयु-अनुकूल डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे "संरचनात्मक सावधानी-उपाय" अपनाने के लिए बाध्य करती है। निगरानी कोमिशन फ़्यूर युगेंडमीडियनशूट्स द्वारा की जाती है, जबकि 2021 के संशोधन से बनी संघीय संस्था बंडेसज़ेंट्राले फ़्यूर किंडर – उंड युगेंडमीडियनशूट्स बच्चों व किशोरों के लिए हानिकारक ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करती है। स्व-घोषणा (self-declaration) को अपर्याप्त माना गया है और (योए-एम-एस-टे-फ़्राऊ) के अनुच्छेद 4(2) के अंतर्गत हानिकारक सामग्री के लिए विश्वसनीय आयु-सत्यापन अनिवार्य है।^{xlii}

तुलनात्मक सारणी- 1: नौ देशों के नियामक मॉडल

देश	न्यूनतम आयु / मुख्य उपाय	सत्यापन तंत्र	नियामक निकाय	दंड/प्रवर्तन
ऑस्ट्रेलिया	16 वर्ष (आयु-प्रतिबंधित मंचों हेतु)	प्लेटफॉर्म-आधारित "उचित कदम"	ए-सैफ्टी कमिशनर	कानून के अनुसार दंड
ग्रीस	सरकारी ऐप ("किड्स वॉलेट")	सरकार-समर्थित डिजिटल पहचान	सरकार/संबंधित मंत्रालय	लागू नहीं (अभिभावक-केंद्रित)
फ्रांस	15 वर्ष ("डिजिटल बहुमत")	एआरसीओएम/सी एन आई एल - अनुमोदित मानक	एआरसीओएम/सी एन आई एल से परामर्श	वैश्विक कारोबार का 1% तक
यूनाइटेड किंगडम	जोखिम-आधारित ("highly effective age-assurance")	प्लेटफॉर्म-आधारित	ऑफकोम	वैश्विक राजस्व का 10% तक
यूरोपीय संघ (जी डी पी आर /डी एस ए)	13-16 वर्ष (सदस्य राज्य तय करते हैं)	सहमति-आधारित; की एल ओ पी हेतु जोखिम-आकलन	राष्ट्रीय डेटा-संरक्षण प्राधिकरण/ई यू आयोग	डी एस ए के अंतर्गत वैश्विक कारोबार का प्रतिशत
संयुक्त राज्य अमेरिका	13 वर्ष (कोपा)	सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति	फेडल ट्रेड कमिशन	आर्थिक दंड
चीन	"माइनर मोड" (आयु-आधारित नहीं)	प्लेटफॉर्म-आधारित माइनर मोड	राज्य साइबरस्पेस प्रशासन	प्रशासनिक कार्रवाई
जापान	कोई सख्त आयु-सीमा नहीं	सहकारी शासन/फ्रिल्ट रिंग	सरकार+आई एस पी +विद्यालय	मुख्यतः शिक्षा-आधारित
जर्मनी	हानिकारक सामग्री हेतु विश्वसनीय सत्यापन अनिवार्य	KJM-अनुमोदित AVS प्रणाली	के जे एम एवं बी जेड के जे	सामग्री-अवरोधन, जुर्माना

(नोट: यह सारणी संक्षेप हेतु है; पूर्ण विवरण हेतु §7.1-7.9 तथा संबंधित फुटनोट देखें।)

तुलनात्मक विश्लेषण एवं भारत की स्थिति

उपरोक्त तुलना से चार स्पष्ट नियामक प्रवृत्तियाँ (पटर्न्स) दिखाई देती हैं। पहली, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने वैधानिक न्यूनतम आयु-सीमा तय कर पहुँच-आधारित प्रतिबंध (अकेसेस बेस्ड रीस्ट्रिक्शन) अपनाया है, जिसमें अनुपालन का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से प्लेटफॉर्मों पर डाला गया है। दूसरी, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ मुख्यतः जोखिम-आधारित प्लेटफॉर्म-जवाबदेही (रिस्क बेस्ड प्लेटफॉर्म अकाउन्टबिलिटी) पर निर्भर हैं, जहाँ कोई एक निश्चित आयु-सीमा नहीं बल्कि हानि-न्यूनीकरण के दायित्व केंद्र में हैं। तीसरी, संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्यतः निजता-केंद्रित (प्राइवसी केनट्रिक) दृष्टिकोण अपनाता है, जो डेटा-संग्रहण को तो नियंत्रित करता है परन्तु सामग्री या लत जैसे व्यापक मुद्दों को नहीं छूता। चौथी, चीन एक व्यापक राज्य-नियंत्रित मॉडल अपनाता है जिसमें तकनीकी नियंत्रण (माइनर मोड) और सामग्री-नियमन दोनों शामिल हैं, जबकि जापान और जर्मनी एक तौर पे सहकारी-शासन व शिक्षा-आधारित मॉडल को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें सरकार, प्लेटफॉर्म, विद्यालय और अभिभावक मिलकर ज़िम्मेदारी साझा करते हैं।

ग्रीस का मॉडल इनसे अलग है क्योंकि वहाँ उत्तरदायित्व मुख्यतः सरकार-समर्थित तकनीकी अवसंरचना और अभिभावकीय भागीदारी पर टिका है, न कि सीधे प्लेटफॉर्म पर।

भारत की तुलना इन नौ मॉडलों से करने पर स्पष्ट होता है कि भारत वर्तमान में मुख्यतः डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के माध्यम से निजता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है- इस अर्थ में यह अमेरिका के कोपा मॉडल के सबसे निकट है। परन्तु, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस के विपरीत, भारत में सोशल मीडिया उपयोग के लिए कोई वैधानिक न्यूनतम आयु तय नहीं है; यूके/यूरोपीय संघ के विपरीत कोई अनिवार्य, व्यापक आयु-सत्यापन दायित्व नहीं है; और जापान/जर्मनी की तरह कोई संस्थागत सहकारी-शासन ढाँचा भी विकसित नहीं हुआ है।^{xiviii} दूसरे शब्दों में, भारत का मौजूदा ढाँचा इन नौ मॉडलों में से किसी एक की तरह भी पूर्ण नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से केवल डेटा-निजता के पहलू को कवर करता है।

आलोचनात्मक लोक नीतिगत विश्लेषण

तुलनात्मक साक्ष्य के आधार पर भारत के मौजूदा ढाँचे में तीन ठोस कमियाँ चिन्हित की जा सकती हैं, जिनके लिए विशिष्ट नीतिगत परिवर्तन आवश्यक हैं।

पहली कमी- आयु-सत्यापन का अभाव। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अनुभव से पता चलता है कि जब सत्यापन का दायित्व सीधे प्लेटफॉर्मों पर डाला जाता है (न कि बच्चों या अभिभावकों पर), तो अनुपालन अधिक प्रभावी होता है। भारत में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 अभिभावकीय-सहमति तो माँगता है परन्तु यह जाँचने का कोई अनिवार्य तकनीकी तंत्र नहीं देता कि उपयोगकर्ता वास्तव में बालक है या नहीं। अतः भारत को प्लेटफॉर्म-दायित्व-आधारित आयु-सत्यापन मानक अपनाने चाहिए, जैसा ऑस्ट्रेलिया के मॉडल में है।

दूसरी कमी- जोखिम-आधारित प्लेटफॉर्म-जवाबदेही का अभाव। यूके के अनलाइन सैफ्टी ऐक्ट और ई यू के डी एस ए में प्लेटफॉर्मों को नियमित जोखिम-आकलन करना पड़ता है। भारत के आईटी नियम, 2021 में मध्यस्थों पर सामान्य उचित-सावधानी का दायित्व तो है, परन्तु बच्चों से जुड़े विशिष्ट, नियमित एवं स्वतंत्र जोखिम-आकलन की कोई अनिवार्यता नहीं है। इस अंतर को भरने के लिए बच्चों-केंद्रित जोखिम-आकलन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

तीसरी कमी- सहकारी-शासन ढाँचे का अभाव। जापान और जर्मनी के मॉडल दिखाते हैं कि सरकार, विद्यालय, प्लेटफॉर्म और अभिभावकों के बीच संस्थागत समन्वय स्थायी रूप से प्रभावी हो सकता है। भारत में ऐसा कोई संस्थागत मंच नहीं है जो इन सभी पक्षों को नियमित रूप से जोड़े। ग्रीस के "किड्स वॉलेट" जैसे सरकार-समर्थित डिजिटल उपकरण भी इस दिशा में एक व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं।

इन तीनों कमियों के मूल में एक साझा कारण है- भारत में बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुँच को नियंत्रित करने वाला कोई समर्पित, एकीकृत कानून नहीं है, बल्कि सुरक्षा साइबर अपराध, डेटा-निजता और बाल-संरक्षण से जुड़े अलग-अलग कानूनों में बिखरी हुई है। अतः लोक नीति को बाल-केंद्रित एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो बच्चों के डिजिटल तकनीक तक पहुँच के अधिकार और उनकी सुरक्षा, निजता व स्वस्थ विकास के अधिकार - दोनों के बीच संतुलन बनाए।^{xlix}

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया ने बच्चों के जीवन में संवाद, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी के नए अवसर खोले हैं, परन्तु इसके साथ साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शोषण, निजता-उल्लंघन, हानिकारक सामग्री और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम भी बढ़े हैं। बच्चों की कम आयु, डिजिटल जोखिमों की सीमित समझ और प्लेटफॉर्मों की जटिल एल्गोरिदमिक प्रणालियाँ इन जोखिमों को और गंभीर बना देती हैं। भारत के मौजूदा कानूनी ढाँचे-विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आईटी नियम, 2021, पॉक्सो

अधिनियम, 2012 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 - बच्चों को महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, परन्तु सोशल मीडिया के संदर्भ में अभी तक कोई एकीकृत और बाल-विशिष्ट व्यवस्था विकसित नहीं हुई है। नौ देशों के तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि विभिन्न देशों ने आयु-सीमा, आयु-सत्यापन, अभिभावकीय नियंत्रण, प्लेटफॉर्म-जवाबदेही और सहकारी-शासन के अलग-अलग संयोजनों के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत में भी बाल-केंद्रित, अधिकार-आधारित एवं सहकारी-शासन पर आधारित एक अधिक समग्र व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के साथ-साथ उनकी निजता, अभिव्यक्ति और डिजिटल भागीदारी के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

तुलनात्मक साक्ष्यों के आधार पर भारत के लिए एक बहु-स्तरीय नियामक एवं नीतिगत दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्लेटफॉर्म-आधारित आयु-सत्यापन की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि आयु की पुष्टि का दायित्व केवल बच्चों या अभिभावकों पर निर्भर न रहे। साथ ही, आयु-सत्यापन के लिए एकत्र की जाने वाली जानकारी के संग्रहण और उपयोग को न्यूनतम रखते हुए बच्चों की निजता की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए बच्चों से जुड़े जोखिमों का नियमित और स्वतंत्र जोखिम-आकलन अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा इसकी रिपोर्टिंग में पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बच्चों को प्रभावित करने वाली अनुशंसा प्रणालियों के संदर्भ में एल्गोरिदमिक पारदर्शिता को भी नियामक ढाँचे का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है, ताकि प्लेटफॉर्म यह स्पष्ट कर सकें कि बच्चों के खातों के लिए अनुशंसा-एल्गोरिदम किस प्रकार कार्य करते हैं और हानिकारक सामग्री अथवा अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देने वाली विशेषताओं, जैसे अनंत स्क्रॉल, को सीमित करने के लिए उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें।

इसके अतिरिक्त, भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार-समर्थित सुरक्षित डिजिटल उपकरण या आयु-पहचान प्रणाली विकसित करने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है, जो अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी और चेतावनियाँ उपलब्ध कराए, लेकिन ऐसा करते समय बच्चों की निजता और डेटा-सुरक्षा से समझौता न हो। इसी प्रकार, सरकार, तकनीकी कंपनियों, विद्यालयों, अभिभावकों और नागरिक समाज के बीच नियमित समन्वय के लिए एक स्थायी बहु-हितधारक अथवा अंतर-संचालनीय सहकारी-शासन मंच स्थापित किया जाना उपयोगी हो सकता है। इस संस्थागत व्यवस्था के साथ बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को विद्यालयी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिसमें प्रोफाइल को ब्लॉक या रिपोर्ट करना, खाते की निजता सुनिश्चित करना, सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग तथा ऑनलाइन जोखिमों की पहचान जैसे बुनियादी कौशलों पर विशेष बल दिया जाए।

अंततः, इन सभी उपायों को अलग-अलग कानूनों और नीतिगत पहलों में बिखरे रहने के बजाय एक समग्र, बाल-केंद्रित एवं अधिकार-आधारित विधायी ढाँचे के भीतर एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा ढाँचा वर्तमान खंडित नियामक व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए आयु-सत्यापन, डेटा-निजता, प्लेटफॉर्म-जवाबदेही, एल्गोरिदमिक पारदर्शिता, डिजिटल कल्याण, डिजिटल साक्षरता और बाल-सुरक्षा जैसे मुद्दों को एक साथ संबोधित कर सकता है। इस प्रकार, भारत के लिए प्रभावी सोशल मीडिया विनियमन का उद्देश्य केवल बच्चों की डिजिटल पहुँच को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित, उत्तरदायी और अधिकार-सम्मत डिजिटल वातावरण निर्मित करना होना चाहिए जिसमें बच्चे डिजिटल प्रौद्योगिकी से प्राप्त शैक्षिक, सामाजिक और रचनात्मक अवसरों का लाभ उठाते हुए अपनी निजता, गरिमा, अभिव्यक्ति और विकास के अधिकारों का भी संरक्षण प्राप्त कर सकें।

संदर्भ सूची

ⁱ भारत सरकार, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, धारा 2(f)। उपलब्ध: <https://www.meity.gov.in/static/>

uploads/2024/06/2bf1f0e9f04e6fb4f8fef35e82c42aa5.pdf, accessed 9 August 2026.

ⁱⁱ Central Institute of Educational Technology (CIET), National Council of Educational Research and Training (NCERT), 'Digital Education Initiatives', उपलब्ध: <https://ciet.ncert.gov.in/initiatives>, accessed 9 August 2026.

ⁱⁱⁱ DataReportal, Digital 2026: India, उपलब्ध: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-india>, accessed 9 August 2026.

^{iv} <https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/ASER-2024-National-findings.pdf>

^v Deepak Kumar and Shweta Bhutada, 'Youth's Digital Readiness in Rural India' (2025), Ideas for India, उपलब्ध: <https://www.ideasforindia.in/topics/human-development/youth-s-digital-readiness-in-rural-india>, accessed 9 August 2026.

^{vi} Hindustan Times, 'ASER 2024: Over 80% Children Aged 14-16 Know How to Use Smartphones, but Only 57% Use Them for Educational Purposes' (2025).

^{vii} Jean M Twenge and W Keith Campbell, 'Associations between Screen Time and Lower Psychological Well-Being among Children and Adolescents: Evidence from a Population-Based Study' (2018) 12 Preventive Medicine Reports 271, <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>, accessed 15 August 2026.

^{viii} Jean M Twenge, Thomas E Joiner, Megan L Rogers and Gabrielle N Martin, 'Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among US Adolescents After 2010 and Links to Increased New Media Screen Time' (2018) 6(1) Clinical Psychological Science 3, <https://doi.org/10.1177/2167702617723376>, accessed 15 August 2026.

^{ix} Mickie Wong-Lo and Lyndal M Bullock, 'Digital Metamorphosis: Examination of the Bystander Culture in Cyberbullying' (2014) 19(4) Aggression and Violent Behavior 418, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.06.007>, accessed 15 August 2026.

^x Papadakis, S., Zaranis, N., & Kalogiannakis, M. (2019). Parental involvement and attitudes towards young Greek children's mobile usage. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 22, 100144. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.100144>.

^{xi} Jean M Twenge and W Keith Campbell, 'Associations between Screen Time and Lower Psychological Well-Being among Children and Adolescents: Evidence from a Population-Based Study' (2018) 12 Preventive Medicine Reports 271, <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>, accessed 15 August 2026.

^{xii} Jean M Twenge, Thomas E Joiner, Megan L Rogers and Gabrielle N Martin, 'Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among US Adolescents After 2010 and Links to

Increased New Media Screen Time' (2018) 6(1) *Clinical Psychological Science* 3, <https://doi.org/10.1177/2167702617723376>, accessed 15 August 2026.

^{xiii} Mickie Wong-Lo and Lyndal M Bullock, 'Digital Metamorphosis: Examination of the Bystander Culture in Cyberbullying' (2014) 19(4) *Aggression and Violent Behavior*, 418-22, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.06.007>, accessed 15 August 2026.

^{xiv} Eltaher, Fatmaelzahraa, Rahul Krishna Gajula, Luis Miralles-Pechuán, Patrick Crotty, Juan Martínez-Otero, Christina Thorpe and Susan McKeever (2025), "Protecting Young Users on Social Media: Evaluating the Effectiveness of Content Moderation and Legal Safeguards on Video Sharing Platforms," arXiv:2505.11160v1 [cs.SI]. Ducato, Rossana (2020), "Data Protection, Scientific Research, and the Role of Information," *Computer Law & Security Review*, Vol. 37, 105412. DOI: 10.1016/j.clsr.2020.105412.

^{xv} Eltaher, Fatmaelzahraa, Rahul Krishna Gajula, Luis Miralles-Pechuán, Patrick Crotty, Juan Martínez-Otero, Christina Thorpe and Susan McKeever (2025), "Protecting Young Users on Social Media: Evaluating the Effectiveness of Content Moderation and Legal Safeguards on Video Sharing Platforms," arXiv:2505.11160v1 [cs.SI]. Ducato, Rossana (2020), "Data Protection, Scientific Research, and the Role of Information," *Computer Law & Security Review*, Vol. 37, 105412. DOI: 10.1016/j.clsr.2020.105412.

^{xvi} Sonia Livingstone and Alicia Blum-Ross (2020), *Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape Children's Lives* (Oxford University Press) तथा Papadakis, S., Zaranis, N., & Kalogiannakis, M. (2019). "Parental involvement and attitudes towards young Greek children's mobile usage." *International Journal of Child-Computer Interaction*, 22, Article 100144. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.100144> 4.

^{xvii} Om Prakash, "Is it time for India to set social media age limits for adolescents?", *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 67, Issue 2, 2025, pp. 267-273, DOI: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_1012_24. Yaqoob, M. D., Cho, W., Saleem, K., Anjum, K., Dou, M., Feng, X., & Chattha, H. (2024). "The Relationship Between Social Media Use and Adolescent Mental Health: A Systematic Review." *Systems Psychology and Sociology*, No. 2 (50), pp. 77-96. DOI: 10.25688/2223-6872.2024.50.2.7.

^{xviii} Om Prakash, "Is it time for India to set social media age limits for adolescents?", *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 67, Issue 2, 2025, pp. 267-273, DOI: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_1012_24. And Vats, Keshav, "Regulation of Social Media for Children in India: A Legal and Empirical Analysis," *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol.

VIII, Issue I, pp. 1194-1209, ISSN 2582-8878.

xix Om Prakash, "Is it time for India to set social media age limits for adolescents?", *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 67, Issue 2, 2025, pp. 267-273, DOI: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_1012_24. Vats, Keshav, "Regulation of Social Media for Children in India: A Legal and Empirical Analysis," *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VIII, Issue I, pp. 1194-1209, ISSN 2582-8878.

^{xx} Eltaher, Fatmaelzahraa, Rahul Krishna Gajula, Luis Miralles-Pechuán, Patrick Crotty, Juan Martínez-Otero, Christina Thorpe and Susan McKeever (2025), "Protecting Young Users on Social Media: Evaluating the Effectiveness of Content Moderation and Legal Safeguards on Video Sharing Platforms," arXiv:2505.11160v1 [cs.SI]. Ducato, Rossana (2020), "Data Protection, Scientific Research, and the Role of Information," *Computer Law & Security Review*, Vol. 37, 105412. DOI: 10.1016/j.clsr.2020.105412.

^{xxi} भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 19(1)(a) एवं 21; न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1 [रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012, निर्णय दिनांक 24 अगस्त 2017]।

^{xxii} भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, नियम 3।

^{xxiii} भारत का राजपत्र, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, नियम 2(1)(v)।

^{xxiv} इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021, नियम 4।

^{xxv} भारत सरकार, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, धारा 2(f) एवं धारा 9। उपलब्ध: <https://www.meity.gov.in/digital-personal-data-protection-act-2023>, accessed 9 August 2026.

^{xxvi} भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो, Draft Digital Personal Data Protection Rules, उपलब्ध: <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090271®=48&lang=2>, accessed 9 August 2026.

^{xxvii} Om Prakash, "Is it time for India to set social media age limits for adolescents?", *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 67, Issue 2, 2025, pp. 267-273, DOI: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_1012_24. and Vats, Keshav, "Regulation of Social Media for Children in India: A Legal and Empirical Analysis," *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VIII, Issue I, pp. 1194-1209, ISSN 2582-8878.

^{xxviii} Eltaher, Fatmaelzahraa, Rahul Krishna Gajula, Luis Miralles-Pechuán, Patrick Crotty, Juan Martínez-Otero, Christina Thorpe and Susan McKeever (2025), "Protecting Young Users on Social Media: Evaluating the Effectiveness of Content Moderation and Legal Safeguards on Video

Sharing Platforms," arXiv:2505.11160v1 [cs.SI]. Ducato, Rossana (2020), "Data Protection, Scientific Research, and the Role of Information," *Computer Law & Security Review*, Vol. 37, 105412. DOI: 10.1016/j.clsr.2020.105412.

xxix Yaqoob, M. D., Cho, W., Saleem, K., Anjum, K., Dou, M., Feng, X., & Chattha, H. (2024). "The Relationship Between Social Media Use and Adolescent Mental Health: A Systematic Review." *Systems Psychology and Sociology*, No. 2 (50), pp. 77-96. DOI: 10.25688/2223-6872.2024.50.2.7.

xxx भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 19(1) (a) एवं 21; न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2017) 10 SCC 1 [रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012, निर्णय दिनांक 24 अगस्त 2017]।

xxxi (2015) 5 SCC 1

xxxii रिट याचिका (सिविल) संख्या 8128/2025

xxxiii जेप फाउंडेशन बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) संख्या 8128/2025,

xxxiv रिट याचिका (सिविल) संख्या 10485/2026, दिल्ली उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 5 अगस्त 2026

xxxv सिविल संख्या 1120/2026

xxxvi Australia, *Online Safety Act 2021*, as amended by the *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*; Office of the Australian Information Commissioner, *Children's Online Privacy Code*.

xxxvii Australian Government, *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024*, s 16, read with the *Privacy Act 1988 (Cth)*.

xxxviii Associated Press (AP), 'Greece is helping parents with age gating, monitoring kids' screen time with a government app' (AP News, May 2025)।

xxxix Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne।

xl Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023, *Journal officiel de la République française*, 8 July 2023, अनुच्छेद 4।

xli Department for Science, Innovation and Technology, *Online Safety Act*, GOV.UK, published 24 July 2025, updated 2 March 2026।

xlii Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), अनुच्छेद 8; Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act)।

xliii United States, *Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)*, 15 U.S.C., 6501-6506; Federal Trade Commission, <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa>.

xliiv State Council of the People's Republic of China, *Regulations on the Online Protection of Minors*, State Council Order No. 766 (2023), effective 1 January 2024।

xlv Act on Development of an Environment that Provides Safe and Secure Internet Use for Young People, 2008

xlvi Germany, *Jugendschutzgesetz (JuSchG)*, विशेषकर 2021 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 24a (Vorsorgemaßnahmen/सावधानी-उपाय); *Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)*, अनुच्छेद 4(2)।

xlvii Germany, *Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)*- जर्मनी के राज्यों की संयुक्त मीडिया-प्राधिकरण संस्था, जो JMStV के अनुपालन की निगरानी करती है; तथा *Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ)*, जो JuSchG 2021 संशोधन द्वारा गठित संघीय संस्था है।

xlviii भारत, *डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023*; *सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000*; *सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021*।

xlix Om Prakash, "Is it time for India to set social media age limits for adolescents?", *Indian Journal of Psychiatry*, Vol. 67, Issue 2, 2025, pp. 267-273, DOI: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_1012_24. Vats, Keshav, "Regulation of Social Media for Children in India: A Legal and Empirical Analysis," *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VIII, Issue I, pp. 1194-1209, ISSN 2582-8878.